

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, प्रीम  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

119/25

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुर्लभता" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी प्रीम ग. भू.अ.नि. प्रीम  
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार प्रीम नायब तहसीलदार प्रीम की अनुमति के आधार पर राजस्थान  
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130 के अनुसरण में प्राप्त प्रीम तहसील प्रीम जिला राजसमन्द  
 की जनाबन्दी सन्वत् प्रीम में खाता संख्या 183 में वर्तमान में दर्ज  
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>प्रीम</u>	<u>183</u>	<u>दिलीपतिह</u> <u>पुत्र विजयतिह</u> <u>रावत</u>	<u>हिम्मततिह</u> <u>पुत्र विजयतिह</u> <u>रावत</u>

(पीठासीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, भीम  
 पदेन जिला राजसमन्द)

क्रमांक :- 119/25

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रीम  
 पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड प्रीम एवं पदेन सहा. कलक्टर.  
 उपखण्ड अधिकारी, भीम  
 जिला - राजसमन्द